रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2.10.2024	पत्रावली पेश हुई। आवाज पर अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित आये। प्रकरण में तहसीलदार खेतडी से जांच रिपोर्ट पूर्व में प्राप्त हो चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन पर बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। तहसीलदार खेतड़ी ने अपनी जांच रिपोर्ट से वर्तमान राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करने की अभिशंषा की है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य व तहसीलदार खेतड़ी की जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् व तहसीलदार खेतड़ी की अनुशंषा के आधार पर प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। उक्तानुसार पालना हेतु तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी को आदेश की प्रति सहित तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 22.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Banshi Dhar Yogi
Date: 2024.11.18 16:21:09 IST
Reason: SelfAttested